

नारी
हस्ता

हुस या कार्यवाही मय इतिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुस को तामील
में जारी हुए

ऑर्डर V।J मुबारिक वगैरे 53

२४/१०/२५

पन्नावली पेश हुई) वादी आशिकवत्ता
उप.। प्राविवादीगण अनुपस्थित।
वादी आशिकवत्ता द्वारा वादग्रस्त
ग्राम पुर के खतरा न. 5986
रकबा 0.3035 हे. की जमानंदी
उत्तर का निवेदन किया कि वादी
द्वारा ग्राम का विक्रम बीगर जायतियों
को का दिया गया है जिसका खतरा
रिकॉर्ड में अमल दरामद ले चुका
है। अतः वादी का नाम खतरा
रिकॉर्ड में खोल नहीं रहने से खतरा
काश्तकारी आशिकविधम 1955 के अन्तर्गत
उत्तर बाद Abante (अबेट) ले
गया है अतः वाद को खतरा का
दिया जावे।

वादी द्वारा उत्तर खतरा
रिकॉर्ड जमानंदी खतरा न. 5986
वाके ग्राम पुर का अवलोकन
किया गया तथा वाद पत्र का अवलोकन
किया गया साथ ही सम्बन्धित बीघे
शख्तमान काश्तकारी आशिकविधम
1955 की धारा 53 (2)(ii) का
अनुकीलन किया गया। शख्तमान
काश्तकारी आशिकविधम 1955 की धारा

— लगातार —

२४/१०/२५

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा

२४/१०/२४

53 (2) (ii) के अनुसार वादी का नाम शपथ रिकॉर्ड में अभिलिखित होना आवश्यक है। वर्तमान शपथ रिकॉर्ड में वादी का नाम अभिलिखित नहीं होने से वादी का वाद स्वतः ही Aband होना उचित दृष्टया उम्माकिन होना है।

अतः वादी द्वारा शपथ-पत्र का इतकारी अधिनियम 1955 की धारा 53(2) (ii) के अन्तर्गत उचित वाद को Aband (अबैट) होने से बचाई जा सकता है।

निम्निय संरक्षकलाय मुन्शीका जपान।
जपानबली लैणल शुमार होकर दार्जिल दफ्तर ही
रफ्फा नम्बर से कम हो।

२४/१०/२४
मुन्शीक कलेक्टर
भीलवाड़ा